

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेव सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-2843/14-10-4, दिनांक 20.12.2022
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में हरदोई एवं सीतापुर वन प्रभाग का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

हरदोई वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
2. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में CA स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु Geo Referenced Digital Map पर कोआर्डिनेट्स के बिन्दु नहीं दर्शाये गये हैं। अतः Geo Referenced Digital Map पर कोआर्डिनेट्स के बिन्दु दर्शाते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें तथा सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया Sol Toposheet प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है। अतः सत्यापित Sol Toposheet ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।
6. प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. ऑनलाइन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 तथा हार्डकापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2 तथा हार्डकापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
8. परियोजना में 10 किमी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
9. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
10. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।
11. पेनड्राइव में अपलोड की गयी पी०डी०एफ० फाइल त्रुटिपूर्ण है तथा प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल भी अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०एफ० फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

सीतापुर वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का सूक्ष्म एवं अपठनीय टोपोशीट संलग्न किया गया है जोकि स्वीकार नहीं है। अतः 1:50000 माप का फुल एवं पठनीय रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है। अतः निरीक्षण तिथि अंकित कर संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में यथास्थान पर अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न किये गये वनभूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
4. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

5. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. प्रस्ताव में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राक्कलन में CA स्थल का क्षेत्रफल प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map के क्षेत्रफल से भिन्न अंकित किया गया है। अतः प्राक्कलन में CA स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सही धनराशि सहित अपलोड करें।
9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में सत्यापित टोपोशीट अपलोड करें।
11. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
12. एन0पी0वी0 में एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
13. एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
14. एन0पी0वी की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित एन0पी0वी की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
15. प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
16. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
17. मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Linear Plan) संलग्न नहीं है।
18. परियोजना में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
18. प्रस्ताव में संलग्न किये गये मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
19. प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने से सम्बन्धी प्रमाण पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
20. बाधक वृक्षों की दशा में Entire Tree Transplant (ETT) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
21. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
22. ऑनलाइन भाग-2 में इको क्लास-1 एवं हरियाली घनत्व-0.1 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 की गणना में इको क्लास-3 एवं हरियाली घनत्व-0.3 अंकित है तथा हार्डकापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जोकि भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान सही इको क्लास एवं हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2, एन0पी0वी0 गणना एवं हार्डकापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
23. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
24. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को Remark सहित अपलोड नहीं किया गया है।
25. ऑनलाइन भाग-2 के District Profile एवं हार्डकापी भाग-2 के District Profile में एक समान एवं सही विवरण अंकित नहीं किया गया है।
26. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) 5.12 हे0 CA के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर पर 4.90 हे0 CA की के0एम0एल0 फाइल अपलोड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः 5.12 हे0 CA की के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में अपलोड करें।
27. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) एवं क्रमांक-13(iii) में 1.29 हे0 CA स्थल, कोडरिया वन ब्लाक की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।
28. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(v) में उपयुक्तता प्रमाण पत्र के स्थान पर वन स्वरूप का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।
29. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।

30. पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं CA स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं CA स्थल की के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रस्ताव का बिना परीक्षण किये ही अत्यन्त लापरवाही पूर्वक प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं किया गया है, जोकि उचित नहीं है।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03-03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03-03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 2110 / 11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
2. अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 डिवीजन, लो0नि0वि0, कानपुर।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।



